काज़ी अधिनियम, 1880

(1880 का अधिनियम संख्यांक 12)[1]

[9 जुलाई, 1880]

काज़ी के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अधिनियम

[2]1864 के अधिनियम सं० 11 की उद्देशिका (हिन्दू तथा मुसलमान विधि अधिकारियों के पदों से और काज़ी-उल-कुज्जात के और काज़ी के पदों से संबंधित विधि का निरसन करने तथा भूतपूर्व पदों को उत्सादित करने के लिए अधिनियम) द्वारा (अन्य बातों के साथ-साथ) यह घोषित किया गया था कि काज़ी-उल-कुज्जात या नगर, शहर या परगना काज़ियों की सरकार द्वारा नियुक्ति असमीचीन है, और उसी अधिनियम द्वारा उक्त अधिकारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति से संबंधित अधिनियमितियां निरसित की गई थीं; और [3][भारत] के कुछ भागों में मुसलमान समाज की प्रथा द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त काज़ियों की उपस्थिति निकाहों के अवसर पर तथा कतिपय अन्य धार्मिक कृत्यों तथा कर्मों के किए जाने में अपेक्षित होती है और इसलिए यह समीचीन है कि सरकार को काज़ी के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए पुन: सशक्त किया जाना चाहिए;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम काज़ी अधिनियम, 1880 है।

[4]* * * * *

स्थानीय विस्तार—इसका विस्तार प्रथमत: केवल फोर्ट सेंट जार्ज के सपरिषद् गवर्नर द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों पर है। [5][किन्तु किसी अन्य राज्य की सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर उसे अपने [6]प्रशासनाधीन संपूर्ण राज्यक्षेत्रों पर या उनके किसी भाग पर विस्तारित कर सकेगी।

2. किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए काज़ियों की नियुक्ति करने की शक्ति—जहां कहीं राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में मुसलमान निवासी यह चाहते हैं कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए एक या अधिक काज़ियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, वहां राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुसलमान निवासियों से परामर्श करने के पश्चात् एक या अधिक योग्य व्यक्तियों का चयन कर सकेगी तथा उसे या उन्हें ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए काजियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन काज़ी ठीक ही नियुक्त किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा उसके बारे में विनिश्चय निश्चायक होगा।

यदि राज्य सरकार, ठीक समझती है, तो इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए किसी ऐसे काज़ी को निलम्बित कर सकेगी या पद से हटा सकेगी जो उसके पद के कार्य के निष्पादन में किसी अवचार का दोषी है, या जो छह मास की लगातार अवधि के लिए उस स्थानीय क्षेत्र से, जिसके लिए वह नियुक्त है, अनुपस्थित रहा है या अन्यत्र निवास करने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थानीय क्षेत्र को छोड़ देता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या पद से उन्मोचित किए जाने की वांछा करता है या जो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से इंकार करता है या राज्य सरकार की राय में उसके लिए अयोग्य या वैयक्तिक रूप से असमर्थ हो गया है।

3. नायब काज़ी—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई काज़ी, ऐसे सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र में या उसके किसी भाग में, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, अपने पद से संबंधित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए अपने स्थान पर कार्य करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को अपने नायब या नायबों के रूप में नियुक्त कर सकेगा, और इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी नायब को निलंबित कर सकेगा या पद से हटा सकेगा।

जब कोई काज़ी धारा 2 के अधीन निलंबित किया जाता है या पद से हटा दिया जाता है, तब उसके नायब या नायबों को, (यदि कोई हों), यथास्थिति, निलंबित या पद से हटाया गया समझा जाएगा।

---

[1] इस अधिनियम का 1970 के विनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-10-1970 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया।

[2] 1868 के अधिनियम सं० 8 द्वारा निरसित।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा "और वह तुरन्त प्रवृत्त होगा" शब्द निरसित।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "किन्तु किसी अन्य भाग क राज्य की सरकार या किसी भाग ग राज्य की सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] यह अधिनियम मुम्बई प्रेसिडेंसी पश्चिमी बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत तथा आसाम के कतिपय स्थानों पर विस्तारित किया गया है।

4. अधिनियम की कोई भी बात काज़ी को न्यायिक या प्रशासनिक शक्तियां प्रदान नहीं करेगी, या काज़ी की उपस्थिति आवश्यक नहीं बनाएगी या किसी व्यक्ति को काज़ी के रूप में कार्य करने से निवारित नहीं करेगी—इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बारे में तथा इसके अधीन की गई किसी भी नियुक्ति के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह—

(क) इसके अधीन नियुक्त किए गए किसी काज़ी या नायब काज़ी को कोई न्यायिक या प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करती है; या

(ख) किसी निकाह के अवसर पर या किसी धार्मिक कृत्य या कर्म के किए जाने में किसी काज़ी या नायब काज़ी की उपस्थिति आवश्यक बनाती है; या

(ग) किसी व्यक्ति को काज़ी के कृत्यों में से किसी का निर्वहन करने से निवारित करती है ।

———